

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नम्बर प...
अहकाम जो इस
हुकम की तामील
में जारी हुए

11.6.18

पत्रावली राजस्व लोक अदालत अभियान में अटल सेवा केन्द्र ग्राम पंचायत पांयला खुर्द में पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। विप्रार्थीगण को रजिस्टर्ड नोटिस तलबी 03.02.2018 को जारी करवाई गई थी। विप्रार्थीगण बावजूद सूचना एवं सूनवाई के पर्याप्त अवसर दिये जाने के उपरान्त भी हाजिर नहीं हुए। अतः विप्रार्थीगण के विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाती हैं। वकील प्रार्थी की बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थी विवादित भूमि का रिकॉर्डेड खातेदार हैं। और अपनी खातेदारी भूमि की नेकमबन्दी करवाना चाहता हैं। विप्रार्थीगण बावजूद सूचना हाजिर नहीं हुए है। लिहाज प्रार्थीगण का आवेदन स्वीकार किया जाकर विस्तृत आदेश पृथक से लिखवाया जाकर मजमे आम सुनाया गया। और शामिल मिसल किया गया।

पत्रावली फैसलसुमार होकर दाखिल दफतर हो।


उपखण्ड अधिकारी
सिणधरी


न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, (एस.डी.ओ.) सिणधरी

(लोक अदालत केम्प-अटल सेवा केन्द्र पायलां खूर्द)

पीठासीन अधिकारी-श्री अंजुम ताहिर सम्मा, आर.ए.एस

राजस्व आवेदन स. 229/2017

प्रार्थीगण	बनाम	विप्रार्थीगण
1. गजेसिंह पुत्र पीरसिंह		1. रूपाराम पुत्र हुकमाराम
2. राणसिंह पुत्र पीरसिंह		जाति जाट निवासी पायलां खूर्द
3. छगन कवर पत्नि पीरसिंह		हाल निवासी आडेल तहसील
जाति राजपूत निवासी-		सिणधरी जिला बाड़मेर
रामदेवरा, पायलां खूर्द		2. मूलाराम पुत्र शिवजीराम
तहसील सिणधरी व जिला		3. प्रागाराम पुत्र शिवजीराम
बाड़मेर		4. अजाराम पुत्र खीमाराम
		5. बगदाराम पुत्र चैनाराम
		जाति देवासी निवासी मोतीसरा
		तहसील सिणधरी जिला बाड़मेर
		6. अलादीन पुत्र जानी खां
		जाति मुसलमान निवासी पायलां खूर्द
		तहसील सिणधरी जिला बाड़मेर
		7. जालाराम पुत्र मोटाराम
		8. धुडाराम पुत्र मोटाराम
		जाति सुथार निवासी पायलां खूर्द
		तहसील सिणधरी जिला बाड़मेर
		9. तहसीलदार सिणधरी


उपखण्ड अधिकारी
सिणधरी

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956
(वास्ते-विवादित भूमि की करने नेखमबन्दी बाबत)


उपस्थित:-1.श्री बाबूलाल विश्णोई वकील प्रार्थीगण की ओर से।

2.विप्रार्थीगण:-एकतरफा।

आदेश


दिनांक-11.6.2018

- 1.संक्षेप में आवेदन के तथ्य इस प्रकार है,कि प्रार्थीगण की संयुक्त खातेदारी भूमि ग्राम मोतीसरा पटवार क्षेत्र पायलां खूर्द तहसील सिणधरी की खेत खसरा संख्या 199 रकबा 37-04 बीघा भूमि आई हुई है। जिस पर प्रार्थीगण का शान्तिपूर्वक कब्जा का चला आ रहा है,प्रार्थीगण की भूमि के सेढा सेढ विप्रार्थीगण की भूमि आई हुई है। वर्षा ऋतु के समय प्रार्थीगण की भूमि के सेढो को लेकर विप्रार्थीगण द्वारा दखलदान्जी की जाती है,और आये दिन सीमाओ को लेकर पक्षकारान में तनाजा रहता है। इस कारण प्रार्थीगण द्वारा ग्राम मोतीसरा पटवार क्षेत्र पायलां खूर्द तहसील सिणधरी की खेत खसरा संख्या 199 रकबा 37-04 बीघा भूमि की पक्की नेखमबन्दी करवाने हेतु यह आवेदन पत्र पेश किया गया है।
- 2.प्रार्थीगण के आवेदन को दर्ज रजिस्टर किया गया। विप्रार्थीगण को रजिस्टर्ड नोटिस दिनांक 03.02.2018 को जारी किये गये थे। तत्पश्चात विप्रार्थीगण को जरिये राजस्व लोक अदालत में उपस्थित होने हेतु नोटिस जारी किये गये। विप्रार्थीगण की रजिस्टर्ड तलबी एवं सुनवाई के पर्याप्त अवसर दिये जाने के उपरान्त भी हाजिर नहीं हुए हैं। अतः विप्रार्थीगण के विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई।
- 3.वकील प्रार्थीगण की एकपक्षीय बहस सुनी गई। वकील प्रार्थीगण ने आवेदन के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया,कि प्रार्थीगण की संयुक्त खातेदारी भूमि ग्राम मोतीसरा पटवार क्षेत्र पायलां खूर्द तहसील सिणधरी की खेत खसरा संख्या 199 रकबा 37-04 बीघा भूमि आई हुई है। जिस पर प्रार्थीगण का शान्तिपूर्वक कब्जा काश्त चला आ रहा है,प्रार्थीगण की भूमि के सेढा सेढ विप्रार्थीगण की भूमि आई हुई है। वर्षा ऋतु के समय प्रार्थीगण की भूमि के सेढो को लेकर विप्रार्थीगण द्वारा दखलदान्जी की जाती है,और प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि की पुरानी माढो को हटवाने का प्रयास करते रहते है,और प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि मे आये दिन अवैध कब्जा करने का प्रयास किया जाता है,और आये दिन सीमाओ को लेकर पक्षकारान मे तनाजा रहता है। इस कारण प्रार्थीगण के खातेदारी भूमि ग्राम मोतीसरा पटवार क्षेत्र पायलां खूर्द तहसील सिणधरी की खेत खसरा संख्या 199 रकबा 37-04 बीघा भूमि की पक्की नेखमबन्दी के आदेश फरमावें जावे।


उपखण्ड अधिकारी
सिणधरी

4. हमने वकील प्रार्थीगण की बहस पर मनन किया और पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकार्ड, सलंगन दस्तावेजात का गम्भीरतापूर्वक अवलोकन किया। तथ्यों का विधि के परिप्रेक्ष्य में विवेचन किया गया। जिसमें पाया कि ग्राम मोतीसरा पटवार क्षेत्र पायलां खूर्द तहसील सिणधरी की खेत खसरा संख्या 199 रकबा 37-04 बीघा भूमि के प्रार्थीगण रिकार्ड सहखातेदार है, जो पत्रावली के सलंगन विवादित भूमि संवत् 2072 से 2075 से प्रमाणित होता है। तथा काश्त की सुविधा हेतु अपनी खातेदारी भूमि की नेखमबन्दी करवाना चाहते हैं, विप्रार्थीगण बावजूद नोटिस तामील होने के हाजिर नहीं हुए हैं, इससे प्रतीत होता है, कि विप्रार्थीगण को प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि की नेखमबन्दी किये जाने में कोई आपत्ति नहीं होगी। ऐसी सूरत में उक्त भूमि की नेखमबन्दी किये जाने में कोई आपत्ति प्रतीत नहीं होती है।


5. लिहाजा, प्रार्थीगण का आवेदन पत्र राजस्व लोक अदालत की भावना को मध्यनजर रखते हुए स्वीकार किया जाकर ग्राम मोतीसरा पटवार क्षेत्र पायलां खूर्द तहसील सिणधरी की खेत खसरा संख्या 199 रकबा 37-04 बीघा भूमि के सम्बन्ध में सीमाज्ञान की पूर्ण में तहसीलदार सिणधरी कार्यवाही करावें। प्रार्थी नियमानुसार सीमाज्ञान शुल्क वहन करेगा। तत्पश्चात विवादित भूमि के चारों तरफ पक्के नेखम स्थापित करते हुए नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार सिणधरी को कमिश्नर नियुक्त किया जाता है, उक्त कार्यवाही प्रार्थीगण व विप्रार्थीगण को पूर्ण में जरिये नोटिस/पत्र के जरिये सूचित करते हुए एक निश्चित तारीख मुकर्रर कर की जावे। कमिश्नर फीस 500/प्रार्थीगण मौके पर अदा करेगा। पालना रिपोर्ट प्राप्त होने पर शामिल मिसल हो।



(अंजुम ताहिर समा)

उपखण्ड अधिकारी, सिणधरी

आदेश आज दिनांक 11/6/18 को लिखवाया जाकर मजमे आम सुनाया गया।



उपखण्ड अधिकारी, सिणधरी
उपखण्ड अधिकारी
सिणधरी